छुटटी की पची का फार्म

Form of Application For Leave

(अनुपुरक नियम २१६ देखिये / See supplementary Rule216)

टिप्पणी - मद सं. १ से १२ प्रत्येक प्रार्थी को भरनी चाहिए चाहे वह राजयत्रित हो या बराजपत्रित । Note :- Item 1 to 12 must be filled in by all applecants whether gazetted or non-gazetted.

प्रार्थी का नाम

٩.

1. २.		Name of applicant लागु होने वाली छुटटी नियमावली					
۲. 2.							
2. 3.	पद	Leave Rules applicable					
3.		Post held					
۷.		। कार्यालय और अनुभाग					
4.		Department Office and Section					
٠ <u>.</u>		वेतन और वेतन वृध्धी की तारीख					
<i>.</i> 5.		Pay and Date of Increment					
ξ.	-	न पद पर मिलने वाला मकान किराया भत्ता सवारी भत्ता या अन्य प्रतिकार भत्ते					
6. House rent allowance, conveyance, allowance or other							
	Comp	Compensatory allowance drawn in the present post.					
0.	मांगी ः	गई छुटटी की किस्म अवधि और उसके शुरू होने की तारीख					
7.		re and period of leave applied for and date from which required.					
८.	रविवा	र और छुटटी के दिन, यदि कोई हो, जिन्हे छुटटी के पहले बाद में जोडना चाहता है ।					
8.		ays and Holidays if any, proposed to be prefixed / suffixed to leave.					
٩.	3	छुटटी का कारण					
9.		nd on which leave, is applied for					
90.		पिछली छुटटी से लौटने की तारीख उस छुटटी की किस्म तथा अवधि					
10.	_	of return from last leave and the nature and period of that leave.					
99.	छुटटी	का पता					
11.		e address					
٩२.	मेरा बिचार आगामी छुटटी मेंके						
		वर्षों के लिये छुटटी यात्रा की रिवापत्र लेने का है/नहीं है					
12.	I Propose/do not propose to avail myself of Leave						
0.2		l Concession for the block yearsduring the ensuing leave. मै वचन देता हु कि औसत वेतन छुटटी / पनिवतित छुटटी का अवधि में लिये गये छुटटी वेतन और आधे औसत वेतन/आधे वेतन की					
93.	(क)	घुटटी मिलने वाले वेतन के अन्तर की उस रकम को वापस कर दूंगा जो छुटटी की समाप्ति पर अथवा उसके दौरान मेरे सेवा निवृत					
		होने की स्थिति में गूल नियम ८१ (घ) (ii) संशोधित छुटटी नियमावली १९३३ के नियम ११ (iii) के लागू न होने पर अनुमत्य न होनी ।					
13.	(0)						
13.	(a)	I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during leave on average pay/commuted leave and that admissible during leave on half average half/pay leave which would not have been admissible had the provision of F					
		R 81 (b) (ii) rule 11(c) (iii) of the Revised Leave Rules 1993 not been applied in the event of my retirement from service					
		at the end or during the currency of the leave.					
93.	(ख)	मै वचन देता हुं कि मेरे स्वेच्छा से निवृत होने या सेवा से त्यागपत्र देने तक मै कम से कम आधे वेतन की उतनी छुटटी अर्जित न कर					
		सके जितनी अँग्रिम छुटटी मैने ली है तो मै अग्रिम छुटटी के दौरान जो मूल नियम ८५ (ग) संशोधित छुटटी नियमावली १९३३ के नियम					
		१९(घ) के लागु व किये जाने पर मुझे न मिल पाती, मिले छुटटी के वेतन को वापस कर दूंगा ।					
13.	(b)	I undertake to refund the leave salary drawn leave not due l'which would not have been admissible had F.R. 81 (c) Rules					
		11 (d) of the Revised Rules 1933 not been applied in the event of my voluntary retirement of resignation from service of					
		any time, Until I earn half pay leave not less than the amount of leave not due availed of by me.					
	तारीख	हस्ताक्षर					
	Date						
		··· —————					

- १४. नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी और/या सिफारिश
- **14.** Remark and/or recommendation of the controlling Officer

त	ारीख	हस्ता	क्षर		
Date		Sign	ature		
		पदन	ाम		
			gnation		
			·		
		छुटटी की अनुमत्यता के बारे में प्रमाण पत्र Certificate Regarding Admissibility of Leave			
		Jerlilicale Hegarding Admis पत्रित अधिकारीओं के सम्बन्ध			
	•	ountant General in the case	,		
			,		
ዓ५.	प्रमाणित किया जाता है कि		से नियमावली के नियम		
	तक	दिन के लिये	नियमावली के नियम		
	के आधिन	अनुमत्य है ।			
16.	Certified that				
		lature of leave)	to		
	101	(period)			
	is, admissible under rule_		_of the Rules		
	तारीख		हस्ताक्षर		
	Date		Signature		
			पदनाम Designation		
			Designation		
٩६.	स्विकृती पानेवाले अधिकारी वे	रु आदेश :-			
16.	Order of the sanctioning a				
	ŭ	•			
	तारीख		हस्ताक्षर		
	Date		Signature		
			पदनाम		
			Designation		
	* मनि मार्थी को कोर्र ।		नरी देने वाले अधिकारी को गर लिखना		

^{*} यदि प्रार्थी को कोई प्रतिकार भत्ता मिलता हो तो मंजुरी देने वाले अधिकारी को यह लिखना चाहिए कि छुटटी पूरी होने पर प्रार्थी उस पर या किसी एसे पद पर लौटने की आशा है या नहीं जहां इसी प्रकार का भत्ता मिलता है ।

^{*} If the applicant is drawing any Compensatory allowance, the sanctioning authority should state whether on the expiry of leave he is likely to the same post or to another post carrying a similar allowance.